

एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली हेलिना और धुवास्त्र

खबर में क्यों है?

- हाल में, नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल के हेलिकॉप्टर से प्रक्षेपित किये जाने वाले वर्जन 'हेलिना' और इसके वायुसेना का रूप 'धुवास्त्र' का रेगिस्तान क्षेत्र में संयुक्त प्रयोग परीक्षण किया गया।
- मिसाइल प्रणालियों का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकास किया गया है।



हेलिना और धुवास्त्र के बारे में

- हेलिना (थलसेना का वर्जन) और धुवास्त्र (भारतीय वायुसेना का वर्जन) तीसरी पीढ़ी के एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (नाग मिसाइल प्रणाली) के हेलिकॉप्टर से प्रक्षेपित किये जाने वाले वर्जन हैं।
- ये तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ वर्ग की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) प्रणाली हैं।
- इस प्रणाली में सभी मौसमों में दिन और रात की संचालनात्मक क्षमताएं हैं और एक पारंपरिक हथियार और विस्फोटक क्रियात्मक हथियार (ERA) के साथ युद्ध टैंकों को मात दे सकती है।



संबंधित सूचना

एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) प्रणाली के बारे में

- ये मिसाइल प्रणालियां हैं जोकि टैंक जैसे हथियारबंद वाहनों पर प्रहार करके उन्हें निष्क्रिय कर सकती हैं।
- वे टैंकों और ऐसे पदार्थ के बख्तर को भेद सकती हैं जो कि इस तरह के हथियारों को झेलने की क्षमता रखते हैं।

नाग मिसाइल प्रणाली के बारे में

- नाग तीसरी पीढ़ी का, दागो और भूल जाओ, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित किया है जिसका उद्देश्य दोनों ही मशीनीकृत पैदल सेना और भारतीय सेना के वायु वाले बलों को समर्थन देना है।
- इन मिसाइलों का विकास DRDO द्वारा एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है।
- यह सभी मौसमों के लिए मिसाइल है जिसमें दिन और रात की क्षमताएं हैं और इसकी न्यूनतम सीमा 500 मी. और अधिकतम सीमा 4 किमी. है।

एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम के बारे में

- इसकी परिकल्पना डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए की थी।
- इसकी शुरुआत 1983 में हुई और इसकी समाप्ति 2012 में हुई।
- IGMDP को पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और तकनीकी प्रदर्शक अग्नि मिसाइल विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

IGMDP के अंतर्गत विकसित मिसाइलें हैं-

- कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल-पृथ्वी
- मध्यम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल- अग्नि
- कम दूरी की निम्न स्तर सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल-त्रिशूल
- मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल- आकाश
- तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल- नाग

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू


सिल्वर एंटीमनी टेल्यूराइड (AgSbTe₂)

खबर में क्यों है?

- हाल में बंगलुरु आधारित जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने एक नया पदार्थ सिल्वर एंटीमनी टेल्यूराइड (AgSbTe₂) का विकास किया है जो सभी प्रकार के घरेलू और औद्योगिक उपकरणों द्वारा उत्पादित बेकार ऊष्मा के दोहन में मदद देता है और इसका प्रयोग अन्य उपयोगी कार्य के लिए करता है।
- लैपटॉप से पैदा होनी वाली ऊष्मा, उदाहरण के लिए, का प्रयोग मोबाइल चार्ज करने के लिए अथवा फोन की ऊष्मा का प्रयोग छोटी घड़ी को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है।

सिल्वर एंटीमनी टेल्यूराइड (AgSbTe₂) के बारे में

- यह चांदी, तांबे और टेल्यूरियम का एक यौगिक है, जिसे सिल्वर कॉपर टेल्यूराइड भी कहा जाता है।



- यह क्रिस्टलीय रूप से ठोस है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बिजली के चालन में मदद देते हैं, लेकिन इसकी जालियां गैर लोच वाली होती हैं और काफी धीरे से कंपन करती हैं, जिससे ऊष्मा का संरक्षण होता है।
- सिल्वर कॉपर टेल्यूराइड ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में लेड टेल्यूराइड की अपेक्षा कम सामर्थ्य प्रदर्शित करती है, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है क्योंकि यह पर्यावरणीय रूप से हितैषी है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

लंबवत प्रक्षेपण कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (VL-SRSAM)

खबर में क्यों है?

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने हाल में लंबवत प्रक्षेपण कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (VL-SRSAM) के दो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण को किया है।



VL-SRSAM के बारे में

- यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल है।

- इसका विकास संयुक्त रूप से DRDO की सुविधाओं जैसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) और अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI) और पूणे आधारित अनुसंधान एवं विकास संस्थान (इंजीनियर्स) द्वारा किया गया है।
- इसे कम दूरियों पर वायु से विभिन्न खतरों को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें समुद्र को मथने वाला लक्ष्य भी शामिल हैं। इसे रडार अथवा अवरक्त संसूचकों से बचने के लिए भी तैयार किया गया है।
- यह एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जोकि विभिन्न दूरियों से बहु वायु खतरों के लिए एक एकल एकीकृत हल उपलब्ध कराता है।
- यह अस्त्र मिसाइल पर आधारित है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

नीति आयोग संचालक परिषद

खबर में क्यों है?

- केंद्र ने नीति आयोग की संचालक परिषद का पुनर्गठन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ किया है।

नीति आयोग की संचालक परिषद के बारे में

- यह एक प्रमुख निकाय है जिसका कार्य विकास की कहानी को बनाने में राज्यों के सक्रिय जुड़ाव के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों के एक साझा स्वप्न का विकास करना है।

संरचना

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री


पूर्णकालिक सदस्य: परिषद के पूर्णकालिक सदस्य सभी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं।

विशेष आमंत्रित: अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख के उपराज्यपाल, और चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक इसकी संचालक परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं।

संचालक परिषद की जरूरत

- नीति आयोग के पास राज्यों के साथ लगातार संरचनात्मक समर्थन पहलों और तंत्रों के द्वारा सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने का शासनादेश है, जिसमें इस बात को मान्यता दी जाती है कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के सिद्धांतों के आधार पर ही मजबूत राज्य मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
- यह अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-विभागीय और संघ के मुद्दों पर चर्चा करने का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है जिससे राष्ट्रीय विकास एजेंडे के क्रियान्वयन को तीव्र किया जा सके।

- यह रणनीतिक क्रियान्वयन, दीर्घवधि नीति ढांचों और कार्यक्रम पहलों में सहायता और डिजाइन करता है, साथ ही उनकी प्रगति और सामर्थ्य की निगरानी भी करता है।



विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिकशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

एशिया पर्यावरणीय प्रवर्तन पुरस्कार-2020

खबर में क्यों है?

- हाल में वन्यजीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा दिये जाने वाले एशिया पर्यावरणीय प्रवर्तन पुरस्कार-2020 को हासिल किया।

**Gradeup UPSC Exams
Super Subscription**
(UPSC CSE & UPSC EPFO)

Access to All
Structured Courses
& Test Series

ENROL NOW

- वन्यजीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) को इस वर्ष नवाचार श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। पूर्व में, ब्यूरो ने 2018 में भी समान श्रेणी में पुरस्कार हासिल किया था।



एशिया पर्यावरणीय प्रवर्तन पुरस्कार

- एशिया पर्यावरणीय प्रवर्तन पुरस्कार सार्वजनिक रूप से उन सरकारी अधिकारियों और संस्थानों/टीमों द्वारा प्रवर्तन में उत्कृष्टता का जश्न मनाता और मान्यता देता है जो एशिया में अंतरसीमा पर्यावरणीय अपराध से निपटते हैं।
- ये पुरस्कार उन आसाधारण व्यक्तियों और/अथवा सरकारी संगठनों/टीमों को प्रदान किये जाते हैं जो निम्न में से किसी भी पात्र मानदंड में अंतरसीमा पर्यावरणीय अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय नियमों के प्रवर्तन में उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं:
 - सहयोग
 - प्रभाव
 - नवाचार
 - निष्ठा
 - लैंगिक नेतृत्व

वन्यजीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो

- यह एक वैधानिक बहुविषयक निकाय है जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य देश में संगठित वन्यजीवन अपराध से निपटना था।
- ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसका पांच क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में हैं।
- वन्यजीवन (संरक्षण) कानून, 1972 के अनुच्छेद 38(Z) के अंतर्गत, यह शासनदेश हैं कि:
 - संगठित वन्यजीवन अपराध गतिविधियों से संबंधित खुफिया सूचना को संग्रहित और व्यवस्थित करना और राज्य एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को इसे प्रदान करना जिससे अपराधियों को पकड़ने की तुरंत कार्यवाही की जा सके।
 - एक केंद्रीकृत वन्यजीवन अपराध डाटा बैंक की स्थापना करना।

- वन्यजीवन अपराध नियंत्रण के लए समन्वय को प्रोत्साहित करना और सौर्वभौमिक कार्यवाही करना जिससे संबंधित विदेशी प्राधिकरण और अंतरराष्ट्रीय संगठन को सहायता मिल सके।
- वन्यजीवन अपराधों में वैज्ञानिक एवं पेशेवर जांच के लए वन्यजीवन अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता का निर्माण करना।
- वन्यजीवन अपराधों से संबंधित अभियोजन में सफलता सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों को सहायता करना।
- भारत सरकार को वन्यजीवन अपराधों से संबंधित मुद्दों पर जिनके राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अर्थ, प्रासंगिक नीति और कानून हैं, सलाह देना।
- यह वन्यजीवन संरक्षण कानून, वन्य प्राणिजात एवं पादप की संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर संधि (CITES) और ऐसी वस्तुओं का संचालन करने वाली आयात-निर्यात (EXIM) नीति के प्रावधानों के अनुसार प्राणिजात और पादप के कंसाइनमेंट की जांच में सीमाशुल्क अधिकारियों को सहायता करना और सलाह देना।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- AIR

गैर अल्कोहल वाले वसीय लिवर रोग (NAFLD)

खबर में क्यों है?

- हाल में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गैर अल्कोहल वाले वसीय लिवर रोग (NAFLD) को एकीकृत करने के लिए संचालन दिशा-निर्देशों को जारी किया है।




गैर अल्कोहल वाले वसीय लिवर रोग के बारे में

- यह लिवर में वसा का असामान्य संग्रहण है जिसमें वसीय लिवर के द्वितीयक कारणों की अनुपस्थिति होती है, जैसे कि अल्कोहल का नुकसानदायक प्रयोग, वायरल हेपाटाइटिस, अथवा दवाईयां।
- यह एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता है। यह लिवर असामान्यताओं के पूरे चक्र में पायी जाती हैं, जिसमें एक सामान्य गैर अल्कोहल वाली वसीय लिवर से लेकर ज्यादा उन्नत जैसे गैर अल्कोहल वाले स्टीटोहेपाटाइटिस (NASH), सिरोसिस इत्यादि।
- यह हृदय संबंधी रोगों, टाइप 2 मधुमेह और अन्य चपापचय लक्षणों के भविष्य के खतरों की भविष्यवाणी करता है।

NAFLD से निपटने के लिए सरकार का प्रस्ताव

- भारत सरकार ने यह महसूस किया है कि वर्तमान NCD कार्यक्रम रणनीतियों का संरेखण NAFLD के बचाव और नियंत्रण के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किया जा सकता है जिसमें शामिल होंगे-
 - व्यवहार और जीवनशैली परिवर्तन;
 - आरंभिक निदान और NAFLD का प्रबंधन, और
 - NAFLD के बचाव, निदान और उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण करना।
- सरकार ने लगातार कहा है कि उसका केंद्र बिंदु 'भारत सही खाओ' और 'फिट भारत आंदोलन' है, सरकार का पूरा जोर नैदानिक उपचार से आगे बढ़कर निवारक स्वास्थ्य की ओर है।



विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक
स्रोत- द हिंदू

पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए कोष की योजना (SFURTI)

खबर में क्यों है?

- हाल में केंद्रीय MSME मंत्री ने कहा है कि SFURTI योजना के अंतर्गत दस्तकारों के लिए 50,000 क्लस्टरों की शुरुआत की जा सकती है जिसके लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और लालफीताशाही को घटाया जाएगा।



SFURTI योजना के बारे में

- यह MSME मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्लस्टर विकास को प्रोत्साहित करना है।
- खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (KVIC) खादी के लिए क्लस्टर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी नोडल एजेंसी है।
- SFURTI में निम्न योजनाओं का विलय किया जा रहा है:
 - a. खादी उद्योग और दस्तकारों की उत्पादकता और प्रतियोगिता को उन्नत करने के लिए योजना
 - b. उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग के लिए योजना (PRODIP)।
 - c. ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्र (RISC) के लिए योजना।
 - d. अन्य छोटे हस्तक्षेप जैसे रेडी वार्प यूनिट, रेडी टू वियर मिशन, इत्यादि।

पृष्ठभूमि

SFURTI योजना का उद्देश्य

- पारंपरिक उद्योग दस्तकारों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत रोजगार उपलब्ध कराना।
- नये उत्पाद, डिजाइन हस्तक्षेप और सुधरे हुई पैकेजिंग, और विपणन अवसंरचना में सुधार के लिए समर्थन उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टरों के उत्पादों की बाजार उपयोगिता को उन्नत करना।
- सहयोगी क्लस्टरों के पारंपरिक दस्तकारों को उन्नत कौशल और क्षमताओं से प्रशिक्षण और एक्सपोजर दौरों के द्वारा लैस करना।
- दस्तकारों के लिए समान सुविधाओं और उन्नत उपकरणों और औजारों के लिए प्रावधान बनाना।
- हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर शासन प्रणालियों को मजबूत करना जिससे वे उभरते हुई चुनौतियों और अवसरों को पहचान सकें और सही तरीके से प्रतियुत्तर दे सकें।

- नवाचार और पारंपरिक कौशलों, सुधरी हुई तकनीकों, उन्नत प्रक्रियाओं, बाजार बुद्धिमत्ता और सार्वजनिक-निजी साझेदारियों को निर्मित करना जिससे क्लस्टर आधारित पुनर्जनित पारंपरिक उद्योगों के समान मॉडलों की नकल धीरे-धीरे की जा सके।

महत्व

- इसका प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और दस्तकारों को क्लस्टरों में संगठित करना है जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और प्रतियोगिता बढ़ सके।
- यह समान सुविधा केंद्रों, नई मशीनरियों की प्राप्ति, कच्चा माल बैंकों के निर्माण और सुधरी हुई पैकेजिंग के द्वारा अवसंरचना के सृजन को समर्थन देता है।

INAUGURATION OF SFURTI CLUSTERS
at Palladam and Kangayam
on 18 May, 2018

Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)

GIRIRAJ SINGH
Minister for MSME, Government of India
will be the Chief Guest on the occasion.

C P RADHAKRISHNAN Ex. MP (LS)
Chairman, Coir Board
will preside over the functions.

Inaugural Programme
Kangayam Khadi Cluster - 9.30 am.
Kangayam Coir Cluster - 11.30 am.
Palladam Coir Cluster - 3.30 pm.

Coir Grow bag making Machinery at Palladam Coir Cluster

Ply coir yarn spinning Machinery at Kangayam Coir Cluster

"Focus on making business easier is inspired by the endeavour of strengthening small, medium entrepreneurs & creating a vibrant MSME sector. Khadi, textiles, coir, handicrafts and other such small industries play a key role in socio-economic empowerment of the poor, underprivileged and women."
Narendra Modi
Prime Minister

SFURTI योजना के अंतर्गत पात्रता

- SFURTI योजना के अंतर्गत पात्र संस्थान हैं गैर सरकारी संगठन, केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान, राज्य एवं केंद्र सरकार के क्षेत्र पदाधिकारी और पंचायती राज संस्थान।
- पात्र एजेंसियां/संगठन राज्य अधिकारी, KVIC को अपना प्रस्ताव सौंप सकते हैं। इसको राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृति हासिल करने के लिए योजना स्टीयरिंग समिति को सौंपने से सौंपा जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र (महत्वपूर्ण योजना)

स्रोत- PIB

भारत को क्यों कन्क्लूजिव लैंड टिटलिंग की जरूरत है?

खबर में क्यों है?

- 2020 में, जब खेती सुधार और श्रम संहिता सुधार कानूनों को बनाया गया, सरकार के थिंकटैंक नीति आयोग ने भूमि सुधारों को शुरू करने के लिए कदम उठाये।
- कन्क्लूजिव लैंड टिटलिंग पर एक मॉडल विधेयक को राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पिछले जून 2020 में उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया।



कन्क्लूजिव लैंड टिटलिंग क्या है?

- एक कन्क्लूजिव टिटलिंग प्रणाली में, सरकार गारंटी वाले टाइटल और क्षतिपूर्ति किसी स्वामित्व वाले विवादों में उपलब्ध कराती है।
- इसे हासिल करने के लिए पंजीकृत संपत्ति टाइटिलों (विक्रय पत्र के विपरीत) की प्रणाली की ओर बढ़ने की जरूरत होती है। यह स्वामित्व का प्राथमिक साक्ष्य होता है और इसमें स्पष्ट और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड होते हैं।

वर्तमान प्रणाली किस तरह से कार्य करती है?

- भारत वर्तमान में अनुमानित भूमि टिटलिंग की प्रणाली का अनुपालन करता है जिसका अर्थ है कि भूमि रिकॉर्डों का रखरखाव है, जिसमें स्वामित्व पर सूचना का निर्धारण पूर्व के लेनदेन के विवरणों से निर्धारित होता है।
- स्वामित्व, तब वर्तमान स्वामित्व के आधार पर स्थापित होता है।
- भूमि का पंजीकरण वास्तव में लेनदेन का पंजीकरण है, जैसे कि विक्रय पत्र, विरासत के रिकॉर्ड, गिरवी और पट्टा।
- पंजीकरण के कागजों को अपने पास में रखने में सरकार अथवा कानूनी ढांचा शामिल नहीं होता है जोकि भूमि के स्वामित्व टाइटिल की गारंटी देता है।

नई प्रणाली में क्या परिवर्तित होगा?

- दूसरी तरफ, कन्क्लूजिव लैंड टिटलिंग प्रणाली के अंतर्गत, भूमि रिकॉर्ड वास्तविक स्वामित्व को नामांकित करते हैं।
- टाइटिल को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जोकि सटीकता की जिम्मेदारी लेती है।
- एक बार टाइटिल मिल जाता है, तो किसी अन्य दावेदार को सरकार के साथ विवाद को निपटाना होता है, ना कि टाइटिल धारक को।

कन्क्लूजिव लैंड टिटलिंग की क्यों जरूरत है?

- मुख्य फायदा यह है कि कन्क्लूजिव प्रणाली भूमि से संबंधित मुकदमेबाजी को काफी ज्यादा कम कर देगी।
- 2007 की विश्व बैंक की 'वृद्धि और गरीबी कम करने में भूमि नीतियों' पर किये गये एक अध्ययन के अनुसार, भूमि विवाद से संबंधित मामले भारत में न्यायालयों में लंबित पड़े दो-तिहाई मामले हैं।
- मध्यस्थता को मजबूत करने संबंधी नीति आयोग के एक अध्ययन ने अनुमानित किया कि भूमि अथवा रियल इस्टेट पर विवाद न्यायालयों में 20 वर्षों का औसत समय सुलझने में लेते हैं।

लाभ

- शहरों में, शहरी स्थानीय निकाय संपत्ति कर पर निर्भर करते हैं जोकि उसी समय पर्याप्त रूप से लगाये जा सकते हैं यदि स्पष्ट स्वामित्व के आंकड़े उपलब्ध हों।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। कृषि ऋण तक पहुँच भूमि को जमानत के रूप में प्रयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है।
- बिना भूमि के स्वामित्व को सिद्ध किये और बैंकों से औपचारिक ऋण तक पहुँच के बिना छोटे और सीमांत किसान अक्सर अनैतिक सूदखोरों की दया पर निर्भर होते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र (भूमि सुधार)

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ईरान, IAEA जांच पर समझौते तक पहुँचे

खबर में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र का नाभिकीय वाचडॉग, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख, ने घोषणा की है कि अधिकारियों के साथ कई दिनों की बातचीत चलने के बाद ईरानी सुविधा की जांच की अनुमित एक अस्थायी हल है, जिससे कूटनीतिक बातचीत के लिए कुछ जरूरी स्थान मिल गया है।



अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में

- IAEA एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहता है और इसके किसी सैन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग को रोकता है जिसमें नाभिकीय हथियार शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय विएना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई, 1957 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी।
- यद्यपि इसकी स्थापना एक अंतरराष्ट्रीय संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से हुई थी, IAEA संयुक्त राष्ट्र आमसभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है।



कार्य

- IAEA विश्व भर में नाभिकीय तकनीक और नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक अंतरसरकारी मंच के रूप में कार्य करता है।
- IAEA के कार्यक्रम नाभिकीय ऊर्जा, विज्ञान एवं तकनीक के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, नाभिकीय तकनीक और नाभिकीय पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को उपलब्ध कराता है और नाभिकीय सुरक्षा (विकिरण संरक्षण सहित) और नाभिकीय सुरक्षा मानकों एवं उनके क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू